



# दैनिक समाचार पत्र

# विन्ध्याटहार



जनता में इंडिया गढ़बंधन की शांत लहर: खरगे

5

हरभजन सिंह ने भारतीय क्रिकेट टीम का कोच बनने की इच्छा जताई

6



## भारत की सैन्य विरासत को खोजेगी उद्धव परियोजना

सेना ने पुराने महाकाव्यों की शुरू की पड़ताल

नई दिल्ली



सेना प्रमुख जनरल मोजे ने उद्धव परियोजना के बारे में बताया जिससे भारत की समृद्ध विरासत के बारे में पता लगाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में देश के दृष्टिकोण को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि पिछले साल यह परियोजना शुरू की गई।

इसमें उद्धव वेदों, पुराणों, उपनिषदों और अथर्वास्त्र जैसे प्राचीन ग्रंथों की गहराई के बारे में है। इसके जरिए प्रतिष्ठित भारतीय और पश्चिमी विद्वानों के बीच पर्याप्त वौद्धिक अभिसरण का खुलासा किया जाता है।

सेना प्रमुख मोजे पांडे ने भारतीय सामरिक संस्कृति में

बारे में बताता है। साथ ही उनके विचार, दर्शन और दृष्टिकोण के बीच प्रतिष्ठिति को दिखाता है। उन्होंने कहा कि इससे भारत की जनजीवनीय परंपराओं, मराठा नौसेनिक विरासत और मैन्य हस्तियों, विशेषकर महिलाओं के व्यक्तिगत वीरतापूर्ण कारनामों के बारे में बताया। साथ ही उनको नए क्षेत्रों में अन्वेषण करने के लिए तैयार करने के लिए है।

सेना प्रमुख ने कहा कि प्रोजेक्ट उद्धव को एक रणनीतिक शब्दावली और वैचारिक ढांचे को तैयार करना के लिए डिजाइन हुआ। इसमें भारत की दार्शनिक और सांस्कृतिक विरासत अंतर्निहित है। सेना प्रमुख मोजे पांडे ने कहा कि परियोजना उद्धव ने प्रख्यात भारतीय और पश्चिमी विद्वानों के बीच पर्याप्त वौद्धिक अभिसरण के मूल्यों पर आधारित रही। उन्होंने

किया जा सकता है। सेना प्रमुख ने कहा कि हम अपनी मैन्य विरासत में अधिक खोज कर सकते हैं। उद्धव में कठोर भारतीय संशस्त्र बलों के विशाल अनुभव, बलिदान और जीत हमारी रणनीतिक संस्कृति को मजबूत करेंगे।

उन्होंने कहा कि संशस्त्र बलों के इतिहास और विरासत को हमारी राष्ट्रीय संस्कृति और पहचान के अभिन्न अंग के रूप में मनाया जा रहा है। सेना ने भारतीय मैन्य प्राणियों का विकास, युद्ध और सामरिक विचार - पुरातनता से स्वतंत्रता तक नामक प्रदर्शनी भी लगाई। जो कि भारत की मैन्य प्राणियों और रणनीति के विकास को प्रदर्शित करता है। सेना प्रमुख ने कहा कि इस तरह के सामूहिक प्रयास से प्राचीन भारत की रक्षा और शासन के अध्ययन के दायरे को व्यापक किया जा सकता है। साथ ही भारत के रणनीतिक विकास की दृष्टिकोण को मजबूत करती है।

सेना प्रमुख ने कहा कि इस तरह के सामूहिक प्रयास से प्राचीन भारत की रक्षा और शासन के अध्ययन के दायरे को व्यापक किया जा सकता है। साथ ही भारत के समझने में मदद मिलेगी।

## सिंहस्थ संबंधी कार्य उज्जैन की जरूरतों और विकास के अनुसार हों : डॉ. मोहन यादव

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सिंहस्थ-2028 की तैयारी के संबंध में मंत्रालय में अधिकारियों से चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उज्जैन नारा की जरूरतों और विकास के ध्यान में रखते हुए सिंहस्थ पर केंद्रित कार्यों का क्रियावन्वय किया जाए। शिशा नारी को प्रदूषण मुक्त करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, क्षिप्रा के संरक्षण और जन सुविधा का ध्यान रखते हुए नदी के घटांटों की विकसित किया जाए। शिशा नारी को प्रदूषण मुक्त करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, क्षिप्रा के संरक्षण और जन सुविधा का ध्यान रखते हुए नदी के घटांटों की विकसित किया जाए। सिंहस्थ के आयोजन, अनुवीक्षण और समन्वय के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अधिक्षता में मंत्रिमंडल समिति बनेगी। इसी वर्ष के बजेट में 3 वर्ष में पूर्ण होने वाले कार्यों को शमिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शिशा को अविवत और निर्मल रखने के लिए सभी विभाग और एंजेसी तीन स्तर पर कार्य करेंगी। इंदौर-उज्जैन के बीच स्टॉपेंडम मरम्मत व निर्माण, गंदे पानी के महत्वपूर्ण जावरा-उन्नजैन, इंदौर-उज्जैन फोरलेन, उज्जैन रेलवे



लिए आईआईटी से सुझाव और विकल्प भी प्राप्त किए जाएंगे। शिशा नदी के बेहतर स्वरूप के लिए नमामि शिशा कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा। शिशा नदी पर सम्पूर्ण शहरी क्षेत्र में नदीन घटांटों का निर्माण किया जाएगा। इंदौर, साविर, देवास व उज्जैन नगरीय क्षेत्रों में वर्ष 2040 की जनसंख्या का ध्यान में रखते हुए जल-मल योजनाएं और सीधी ट्रॉफेंट स्लान वर्ष 2027 से पहले पूर्ण कर लिए जाएंगे।

## सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की



नई दिल्ली। शराब नीति के से जुड़े मरी लाइंग नामाल भारतीय सिसोदिया की जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।

एक दिन अपनी बीमार पत्नी से मिलने के इजाजत दी है। हाईकोर्ट ने 14 मई को यह फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट ने अपनी दिल्ली में कहा कि यह केस सता के दुरुपयोग का है। इनका मकसद

जुड़े दिल्ली के बीमार पत्नी से

एक दिन अपनी बीमार पत्नी से मिलने के इजाजत दी है। हाईकोर्ट ने 14 मई को यह फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट ने अपनी दिल्ली में कहा कि यह केस सता के दुरुपयोग का है। इनका मकसद

जुड़े दिल्ली के बीमार पत्नी से

एक दिन अपनी बीमार पत्नी से मिलने के इजाजत दी है। हाईकोर्ट ने 14 मई को यह फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट ने अपनी दिल्ली में कहा कि यह केस सता के दुरुपयोग का है। इनका मकसद

जुड़े दिल्ली के बीमार पत्नी से

एक दिन अपनी बीमार पत्नी से मिलने के इजाजत दी है। हाईकोर्ट ने 14 मई को यह फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट ने अपनी दिल्ली में कहा कि यह केस सता के दुरुपयोग का है। इनका मकसद

जुड़े दिल्ली के बीमार पत्नी से

एक दिन अपनी बीमार पत्नी से मिलने के इजाजत दी है। हाईकोर्ट ने 14 मई को यह फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट ने अपनी दिल्ली में कहा कि यह केस सता के दुरुपयोग का है। इनका मकसद

जुड़े दिल्ली के बीमार पत्नी से

एक दिन अपनी बीमार पत्नी से मिलने के इजाजत दी है। हाईकोर्ट ने 14 मई को यह फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट ने अपनी दिल्ली में कहा कि यह केस सता के दुरुपयोग का है। इनका मकसद

जुड़े दिल्ली के बीमार पत्नी से

एक दिन अपनी बीमार पत्नी से मिलने के इजाजत दी है। हाईकोर्ट ने 14 मई को यह फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट ने अपनी दिल्ली में कहा कि यह केस सता के दुरुपयोग का है। इनका मकसद

जुड़े दिल्ली के बीमार पत्नी से

एक दिन अपनी बीमार पत्नी से मिलने के इजाजत दी है। हाईकोर्ट ने 14 मई को यह फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट ने अपनी दिल्ली में कहा कि यह केस सता के दुरुपयोग का है। इनका मकसद

जुड़े दिल्ली के बीमार पत्नी से

एक दिन अपनी बीमार पत्नी से मिलने के इजाजत दी है। हाईकोर्ट ने 14 मई को यह फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट ने अपनी दिल्ली में कहा कि यह केस सता के दुरुपयोग का है। इनका मकसद

जुड़े दिल्ली के बीमार पत्नी से

एक दिन अपनी बीमार पत्नी से मिलने के इजाजत दी है। हाईकोर्ट ने 14 मई को यह फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट ने अपनी दिल्ली में कहा कि यह केस सता के दुरुपयोग का है। इनका मकसद

जुड़े दिल्ली के बीमार पत्नी से

एक दिन अपनी बीमार पत्नी से मिलने के इजाजत दी है। हाईकोर्ट ने 14 मई को यह फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट ने अपनी दिल्ली में कहा कि यह केस सता के दुरुपयोग का है। इनका मकसद

जुड़े दिल्ली के बीमार पत्नी से

एक दिन अपनी बीमार पत्नी से मिलने के इजाजत दी है। हाईकोर्ट ने 14 मई को यह फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट ने अपनी दिल्ली में कहा कि यह केस सता के दुरुपयोग का है। इनका मकसद

जुड़े दिल्ली के बीमार पत्नी से

एक दिन अपनी बीमार पत्नी से मिलने के इजाजत दी है। हाईकोर्ट ने 14 मई को यह फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट ने अपन













